

# न्यायालय, समाहर्ता-सह-जिला दण्डाधिकारी, खगड़िया।

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख एक्ट, 1946 का नियम 139)

आदेश पत्रक-ता०.....

से.....

जिला-खगड़िया.....

सा०.....

सन्.....

केस का प्रकार:-बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 के अर्न्तगत जप्त विदेशी शराब को विनष्ट करने के संबंध में। वाद संख्या:-196/2018 राज्य बनाम थाना अलौली कांड संख्या:-126/2018

आदेश की क्रम  
सं० और तारीख  
1.

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

02.

आदेश पर की गई  
कार्रवाई के बारे में  
टिप्पणी  
तारीख-सहित  
3.

27.09.2018

बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम-2016 की धारा 30(ए) के तहत थाना अलौली में दर्ज कांड संख्या:-126/2018 दिनांक 24.04.2018 में जप्त विदेशी शराब के विनष्टीकरण हेतु पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के पत्रांक 4552/हि०शा०, दिनांक 26.09.2018 द्वारा प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के साथ संलग्न थानाध्यक्ष, अलौली का प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि 180 एम०एल० का 85 (पचासी) बोतल विदेशी शराब कुल-15.300 लीटर विदेशी शराब थाना अलौली के मालखाना में सुरक्षार्थ रखा गया है।

पुलिस पदाधिकारी ने यह भी प्रतिवेदित किया है कि थाने में रखी गई शराब का दुरुपयोग किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में इसे लंबे समय तक जमा रखना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सर्वथा अनुपयुक्त है।

अतएव प्राप्त प्रस्ताव/प्रतिवेदन पर सम्यक विचारोपरान्त बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम-2016 की धारा-57 में वर्णित शक्तियों का प्रयोग करते हुए थाना, अलौली के मालखाना में रखी गई कुल:-15.300 लीटर विदेशी शराब विनष्ट करने का आदेश दिया जाता है। अधीक्षक उत्पाद, खगड़िया अपने देख-रेख में निर्धारित प्रक्रियों का पालन करते हुए थाना, अलौली में दर्ज कांड संख्या:-126/2018 कांडों के आधार पर जप्त की गई कुल-15,300 लीटर विदेशी शराब को विनष्ट करते हुए तत्संबंधी प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में समर्पित करेंगे।

इस आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक, खगड़िया/थानाध्यक्ष, अलौली उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ भेजी जाय।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्ता, खगड़िया।

समाहर्ता, खगड़िया।


क्रम स०  
और तारीख  
1.

02.

गइ कारवाई क  
बारे में टिप्पणी  
तारीख-सहित  
03.

डी०बी० नं० .....599...../विधि, दिनांक.....27-9-18  
प्रतिलिपि:-पुलिस अधीक्षक, खगड़िया/थानाध्यक्ष, अलौली /उत्पाद  
अधीक्षक, खगड़िया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:-जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया को  
सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि आदेश जिले के वेबसाईट पर अपलोड करने की कृपा  
की जाय।

  
प्रभारी पदाधिकारी  
जिला विधि शाखा,  
खगड़िया।

  
27-9-18